

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 26.05.2024

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता अशोक कुमार पुत्र रामकेवल निवासी वीरपुर खरहरा थाना छावनी जनपद बस्ती को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।**

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री संजय यादव, का0 मुकेश कुमार।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1498 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 03 लोगों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 1498 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत पिपरा से इवेन्ट संख्या 30711 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में 03 लोगों (01-अमृत सिंह पुत्र चन्द्रिका सिंह, 02-बेचन पुत्र अज्ञात निवासीगण रामपुर चन्द्रभान जनपद देवरिया 03- करीम पुत्र अकबर अली निवासी थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- आ0 पवन चौधरी, आ0 गुफरान अहमद, हो0चा0 अखिलेश सिंह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना महली पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

***जनपद - संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 26.05.2024*

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री रामकृपाल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा **थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 318/2024 धारा 328/376/504/506 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट** के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता अली हुसैन पुत्र मुर्तजा हुसैन निवासी रायपुर छपिया उर्फ ठोका थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को चुरेब स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को अविलम्ब गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री रामेश्वर यादव, का0 अंजेश कुमार।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मोबाइल छीनने की घटना का किया गया पर्दाफाश, 01 अदद मोबाइल व 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ घटना में संलिप्त 03 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 06.01.2024 को मु0अ0सं0 19/2024 धारा 392 भादवि से संबंधित मोबाइल छीनने की घटना का पर्दाफाश किया गया है। घटना में संलिप्त 03 वाँछित अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ मोती तिराहा के पास से को गिरफ्तार किया गया है।

***गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण*-**

1. आयुष उर्फ मन्नू राय पुत्र राजकुमार राय निवासी चाड़ी पोस्ट बासगांव थाना बासगांव जिला गोरखपुर।
2. शाहिल राय पुत्र शिवशंकर राय निवासी चाड़ी पोस्ट बासगांव जिला गोरखपुर।
3. अमन तिवारी पुत्र सुनील तिवारी निवासी मड़या अचकवापुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी:-

- 1-चोरी की 01 अदद एन्ड्रायड मोबाइल रेडमी कम्पनी
- 2-01 अदद मोटर साइकिल टीवीएस अपाचे (रजि0नं0 UP58AC5449)।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 19/2024 धारा 392 भा0द0वि0 व बढ़ोत्तरी धारा 34/411 भादवि।

विवरण:- अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि दिनांक 29.12.2023 की रात में 08.30 बजे अमन तिवारी की टीवीएस अपाची से उस्का कला में साइकिल से जा रहे एक लड़के से मोबाइल व 25000 रु0 छीनने की घटना को अंजाम दिये थे। अभियुक्तगण द्वारा छीने गए पैसे के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया गया कि आपस में बाँट कर खर्च कर दिए हैं।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में वादी मुकदमा विशाल चौधरी पुत्र चिन्ताहरण चौधरी निवासी घटरम्हा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 रामअवध यादव, हे0का0 राजीव प्रसाद, हे0का0 नूरुद्दीन खान, का0 अभिषेक पाल, का0 सत्येन्द्र कुमार सिंह, का0 अविनाश मौर्या।